

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनोपी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ०एन० 5-३ / 2007 (एफ०सी०, डिवीजन) दिनांक-०५-०२-२००९ द्वारा ३० वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एनोपी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रतिहस्ताधरित

sk

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)
रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.खण्ड, अधिशासी अभियंता
लो.नि.वि., सोनभद्र
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र